

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 40/2019 प्रार्थना पत्र

अशरफ खान व अन्य

// बनाम //

हफीज अहमद व अन्य



प्रार्थना पत्र धारा 212 राजकाअधि

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

अधिवक्ता प्रार्थी के आज दिनांक को मूलवाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रार्थी उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। तथा इसी स्टेज पर विद्रो कर खारिज कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-212 राजकाअधि इसी स्टेज विद्रो कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

